[आदेशिका] क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
9/1/24	प्रथम पक्ष बकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उप०। अभिलेख दिनांक 27/2/24 को रखे। (हस्ताक्षर) 9/1/24	
27/2/24	उभय पक्ष उप०। अभिलेख दिनांक 9/4/24 को रखे। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	
9/4/24	प्रथम पक्ष बकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उप०। अभिलेख दिनांक 3/7/24 को रखे। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	
03/7/24 न्यायालय में द्वितीय प्रथम पक्ष का बयान 1st party	~~प्रथम पक्ष बकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उप०।~~ प्रथम पक्ष के द्वितीय उत्तरार्थी मो० इकरामुद्दीन अंसारी न्यायालय में उपस्थित हुये। उनका कहना है कि विवादित जमीन गैरमजरूआ खास जमीन है। खाता - 33, प्लॉट - 903/10, रकबा 80 डी०। उनका कहना है कि हमलोग ~~को~~ चहारदिवारी का उस जमीन पर, वर्ष 2017-18 में अंचल अधिकारी बिरनी उस चहारदिवारी को गिरा दिये; CO बोले कि यह जमीन आपका नहीं है। पुनः प्रथम द्वितीय पक्ष के द्वारा अंचल कार्यालय बिरनी में	मो० इकराम उद्दीन अंसारी ↑ बयान कर्ता का हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर) 03.07.2024

क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
03.07.2024	— सर्वप्रथम प्रदर्श (A)	
अतिक्रमित रकबा 80डी०	अंचल कार्यालय बिरनी में संचालित अतिक्रमणवाद सं० 04/2017-18 के 2nd पाराग्राफ में स्पष्ट किया गया है कि मौजा माखमरगो, खाता नं०-33, प्लॉट नं०-903, कुल रकबा 39.92 एकड़ में; —— शिवन मियां के पास 4.18 एकड़ (चार एकड़ अठारह डी०) का कागजात है, जबकि 0.80 एकड़ भूमि अधिक कब्जा किया गया है। प्रदर्श (C) तथा प्रदर्श (D) भी इसी बात की पुष्टि करते हैं।	
उसकी चौहद्दी	पुनः प्रदर्श (A) अतिक्रमणवाद सं० 04/2017-18 में यह स्पष्ट किया गया है कि सरयु रविदास कोरट- को मिला भूदान पर्चा सही है; तथा प्रदर्श (C) कर्मचारी रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि भूदान पर्चा में दी गई चौहद्दी उसी प्रश्नगत स्थान की है जहाँ शिवन मियां 0.80 एकड़ भूमि अधिक कब्जा किये हैं।	

[signature]
03.07.2024

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
03.07.2024 शिवन मियां बेदखल सरयू रविदास काबिज	— तत्पश्चात अंचल अधिकारी के द्वारा उसी आदेश में, शिवन मियां को अतिक्रमित भूमि 0.80 एकड़ से बल पूर्वक हटाने तथा भूदान पर्ची के अनुसार सरयू रविदास को कब्जा दिलाने का आदेश निर्गत किया गया। उक्त आदेश के क्रम में आगे, SDO [illegible] के द्वारा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई तथा मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई, एवं प्रश्नगत स्थल 0.80 एकड़ से शिवन मियां को हटाकर सरयू रविदास को दखल दिलाया गया; इस बात को प्रथम पक्ष के सदस्य मो० इकरामुद्दीन अंसारी के द्वारा खुले न्यायालय में स्वयं बयान किया गया है। (हस्ताक्षर) 03.07.2024	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
03.07.2024	— [शिवन मियां प्रथम पक्ष के पूर्वज हैं।] उक्त प्रस्तुत साक्ष्य (प्रदर्श A से E तक) के विश्लेषण से उस वाद की स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रश्नगत भूमि [खाता - 33, प्लॉट नं० - 903/10, रकबा 4.70 एकड़ मध्ये रकबा 80 डी०, चौहद्दी – उत्तर - नीज, द० - परती करीम मालिक, पू० - सड़क PWD, प० - साधु कुमारी] पर से — प्रथम पक्ष के पूर्वज शिवन मियां को — विधि सम्मत तरीके से हटाकर — द्वितीय पक्ष के सरयु रविदास को — वर्ष 2017-18 में कब्जा दिलाया गया था। उसके पाँच वर्ष बाद (वर्ष - 2022 में), प्रथम पक्ष के द्वारा यह वाद लाया गया। (हस्ताक्षर) 03.07.2024	

आदेश क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

03.07.2024 — स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के सरयू रविदास को, विधि-सम्मत तरीके से, वर्ष 2017-18 में, इस वाद की प्रश्नगत भूमि पर कब्जा दिलाया गया था; इसके पाँच वर्ष बाद, 2022 ई० में, प्रथम पक्ष के द्वारा यह वाद लाया गया है।

[अतः इस वाद में लाई गई प्रश्नगत भूमि पर — द्वितीय पक्ष के सरयू रविदास का ही कब्जा घोषित किया जाता है।]

इसके साथ ही इस वाद को समाप्त किया जाता है।

आदेश से उभय पक्ष को अवगत करायें।

आदेश की प्रति थाना तथा अंचल को भेजें।

लेखापित तथा संशोधित

03.07.2024
अनुमंडल दंडाधिकारी,
बगोदर सरिया,
गिरिडीह

03.07.2024
अनुमंडल दंडाधिकारी
बगोदर सरिया,
गिरिडीह

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.07.06 14:40:28 +05:30
Location: 192.168.54.238

Scanned with OKEN Scanner